न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीएसएम.नं. 2023/336
मुकदमा नम्बर 84/2023 दायर दिनांक–08.08.2023

1. महेश कुमार पुत्र मूलचन्द जाति जाट निवासी रूडा सुबेदार की ढाणी तन बडवासी, तहसील नवलगढ़ जिला झुझुनूं

............आवेदकगण

बनाम

1. उर्मिला पुत्री मंगेज सिंह
2. मंजू पुत्री मंगेज सिंह
3. शारदा पुत्री मंगेज सिंह
4. सुनिता पुत्री मंगेज सिंह
5. नरेन्द्र पुत्र मंगेज सिंह
6. सहीराम पुत्र मंगेज सिंह
7. मनकोरी पत्नी मंगेज सिंह
8. उम्मेद सिंह पुत्र रामनिवास
9. मुकेश कुमार पुत्र रामनिवास
10. संदीप कुमार पुत्र रामनिवास
11. रामप्यारी देवी पत्नी रामनिवास
12. अंकित पुत्र बनवारीलाल
13. अमित पुत्र बनवारीलाल
14. पिंकी कुमारी पुत्री बनवारीलाल
15. पिंटु देवी पत्नी बनवारीलाल
16. तुलसी पत्नी मूलचन्द
17. संत कुमार पुत्र मूलचन्द
18. सुमेर पुत्र मूलचन्द
19. हंसराज पुत्र मूलचन्द समस्त जाति जाट निवासी रूडा सुबेदार की ढाणी तन बडवासी ,तहसील नवलगढ, जिला झुन्झुनूं (राज0)
20. प्रबन्धक बैंक ऑफ इण्डिया शाखा डाबडी बलौदा, तहसील नवलगढ, जिला झुन्झुनूं (राज0)
21. प्रबन्धक बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बडवासी तहसील नवलगढ, जिला झुन्झुनूं (राज0)
22. प्रबन्धक बैंक आफ बडौदा शाखा नवलगढ तहसील नवलगढ, जिला झुन्झुनूं (राज0)
23. भूमि धारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़

..........अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र अं. धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वकील आवेदक–श्री विकास कुमार सैनी पुत्र अनुराग सैनी
अनावेदकगण 1लगा. 22 – एक पक्षीय
अनावेदकगण 23 – पैरो. राज.

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

:—निर्णय—:

दिनांकः—02 / 06 / 2025

यह प्रा0 पत्र आवेदक द्वारा अन्तर्गत धारा 251 (क) काश्तकारी अधिनियम 1955 को इस कदर पेश किया गया कि, राजस्व ग्राम सुल्तानपुरा पटवार हल्का कुमावास के खसरा नं. 302/229 में पहुँच हेतु नजरी नक्शे में प्रदर्शित सडक से शुरू होकर खसरा नं. 229की पूर्वी सीमा से सटकर 2 मीटर,खसरा नं. 302/229 की पश्चिमी सीमा से सटकर 2 मीटर चौडा रास्ता अर्थात कुल 4 मीटर चौडा रास्ता जिसे प्रार्थना पत्र में संलग्न नजरी नक्शे में ए से बी बिन्दुओं से लाल रंग से प्रदर्शित किया गया है, अप्रार्थी सं. 1 लगा. 11 से दिलवाया जावे।

प्रा0 पत्र पेश होने पर तलबी अनावेदकगण कि जारी की गई। अनावेदक सं. 1 लगा. 22 बावजूद सम्यक तामिल अनुपस्थित रहे। अतः इस प्रकरण में इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अनावेदक सं. 23 की और से पैरो. राज. उपस्थित। तहसीलदार नवलगढ़ से रिपोर्ट क्रमांक 527 दिनांक 11/12/2023 पेश हुई। मुताबिक तहसीलदार नवलगढ की रिपोर्ट व नजरी नक्शा अनुसार खसरा नं. 302/299 में पहुँच के लिये ख.नं. 229 तथा 300/229 की दक्षिणी सीमा के सहारे प्रचलित रास्ते से ख.नं. 229 की पूर्वी सीमा तथा खसरा नं. 300/229 की पश्चिमी सीमा के सहारे —सहारे 4 मीटर चौडे अर्थात ख. नं. 229 में ई से एफ बिन्दू तक 94X2=188 वर्ग मीटर तथा ख.नं. 300/229 में ई से एफ बिन्दू तक 94X2=188 वर्ग मीटर रास्ते का क्षेत्रफल आता है।

बहस प्रा. पत्र एक पक्षीय पेश होने पर बगौर सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार नवलगढ की रिपोर्ट से जाहिर है कि आवेदक को अपनी कृषि जोत तक आने जाने के लिये रास्ते की परमआवश्यक्ता है तथा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नजदीकी नही है और तहसीलदार नवलगढ द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया रास्ता ही सबसे नजदीक रास्ता है।

लिहाजा तहसीलदार नवलगढ कि रिपोर्ट क्रमांक 527 दिनांक 11/12/2023 से इत्तिफाक रखते हुये तथा आवेदक का प्रा. पत्र पोषणीय व न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ कि रिपोर्ट क्रमांक 527 दिनांक 11/12/2023 तथा संलग्न नजरी नक्शे अनुसार ग्राम सुल्तानपुरा पटवार हल्का कुमावास के खसरा नं. 302/299 में पहुँच के लिये ख.नं. 229 तथा 300/229 की दक्षिणी सीमा के सहारे प्रचलित रास्ते से ख.नं. 229 की पूर्वी सीमा तथा खसरा नं. 300/229 की पश्चिमी सीमा के सहारे —सहारे 4 मीटर चौडे अर्थात ख.नं. 229 में ई से एफ बिन्दू तक 94X2=188 वर्ग मीटर तथा ख.नं. 300/229 में ई से एफ बिन्दू तक 94X2=188 वर्ग मीटर भूमि का सिवायचक गै.मु. रास्ता दर्ज कर, कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। रास्ते से प्रभावित भूमि ख.नं. ख.नं. 229 तथा ख.नं. 300/229 के खातेदार काश्तकारों को रास्ते से प्रभावित भूमि के लिये, डीएलसी दर की दोगुनी राशि उनके हिस्से अनुसार आवेदकगण से दिलाई जावे। अनावेदकगण द्वारा राशि प्राप्त नही करने पर राजकोष में अमानत मद में जमा करवाई जावें। **सुलभ संदर्भ हेतु तहसीलदार नवलगढ कि क्रमांक 527 दिनांक 11/12/2023 मय नक्शा —फर्द उक्त आदेश का भाग होगा।**

तहसीलदार नवलगढ, को आदेशित किया जाता है कि, मुताबिक आदेश रास्ते से प्रभावित भूमि को राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 सिवायचक रास्ता दर्ज कर देवे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 02/06/2025 को मैर द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ ,जिला—झुंझुनू